

कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा (राज.)

पता:- पुराना जिला परिषद भवन परिसर, MBS के सामने, नयापुरा कोटा
{E mail:- ddkota.wcd@rajasthan.gov.in/ddiedskota@gmail.com Ph- 0744-2323138}

क्रमांक:-स्था/भर्ती/2025 3496

दिनांक:- 16/07/2025

विज्ञप्ति संख्या 02/2025

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं/ग्राम पंचायत के सम्मुख अंकित ग्रामों/वार्डों में आंगनवाडी कार्यकर्ता/ सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र 18.08.2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	बाल विकास परियोजना का नाम एवं ई-मेल आई.डी./.	रिक्त मानदेय पदों के नाम /संख्या	
		कार्यकर्ता	सहायिका
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी चेचट chechatcdpo@gmail.com	04	03
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी इटावा itawacdpo@gmail.com	02	03
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी कोटाशहर kotacitycdpo@gmail.com	06	15
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी लाडपुरा ladpuracdpo@gmail.com	04	05
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी सांगोद sangodcdpo@gmail.com	01	06
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी सुल्तानपुर sultanpurecdpo@gmail.com	02	03

1. आवेदन फार्म ऑफ-लाईन सम्बन्धित परियोजना कार्यालयों में निर्धारित दिनांक 18.08.2025 तक स्वीकार्य होंगे।
2. ऑफ-लाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय संलग्न दरतावेजों के सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः /रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्धारित दिनांक 18.08.2025 का सायं 5:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे।
3. विज्ञप्ति के सम्बन्ध में परियोजनावार/आंगनवाडी केन्द्रवार/ग्राम पंचायतवार/वार्डवार रिक्त पदों तथा पात्रता आदि सम्बन्धी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <http://www.wcd.rajasthan.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

(सीता शर्मा) RAS

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
कोटा

दिनांक 16/07/2025

क्रमांक:- 3497-3504

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. जिला कलक्टर महोदय, कोटा।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कोटा।
5. आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण कोटा।
6. विकास अधिकारी, समस्त जिला कोटा।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त जिला कोटा।
8. नोटिस बोर्ड।

(सीता शर्मा) RAS

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
कोटा

Lakhan /D/ AWW/AWH VacancyLatter@2025

25	बाल विकास परियोजना अधिकारी कोटा शहर kotacitycdpo @ gmail.com	न.नि.कोटाउत्तर	34	चन्द्रघटा-1	सहायिका	Minority
26		न.नि.कोटादक्षिण	04	शिवपुरा-2	सहायिका	ST
27		न.नि.कोटादक्षिण	47	साजीदेहडा-1	कार्यकर्ता	Minority
28		न.नि.कोटादक्षिण	05	श्यामबस्ती	सहायिका	
29		न.नि.कोटाउत्तर	18	देवली अरब	सहायिका	
30		न.नि.कोटाउत्तर	66	गावडी-3	सहायिका	
31		न.नि.कोटाउत्तर	51	अम्बेडकर कॉलोनी	सहायिका	
32		न.नि.कोटाउत्तर	57	मालीपाडा-2	कार्यकर्ता	
33		न.नि.कोटाउत्तर	35	लकीबुर्ज	सहायिका	
34		न.नि.कोटाउत्तर	37	मालीपाडा-1	सहायिका	
35		न.नि.कोटादक्षिण	01	कैथूनीपोल	कार्यकर्ता	
36		न.नि.कोटादक्षिण	46	सूरजपोल-1	सहायिका	Minority
37		न.नि.कोटादक्षिण	45	मीट मार्केट	कार्यकर्ता	SC
38		न.नि.कोटादक्षिण	44	नगर परिषद कॉलोनी	कार्यकर्ता	Minority
39		न.नि.कोटादक्षिण	44	नगर परिषद कॉलोनी	सहायिका	Minority
40		न.नि.कोटाउत्तर	13	कन्सुवा-2	सहायिका	
41		न.नि.कोटाउत्तर	23	गोपालमील	सहायिका	SC
42		न.नि.कोटाउत्तर	63	हरिजनबस्ती स्टेशन	कार्यकर्ता	SC
43		न.नि.कोटादक्षिण	52	रंगबाडी-5	सहायिका	SC
44		न.नि.कोटादक्षिण	40	राजयनगर-1	सहायिका	
45		न.नि.कोटादक्षिण	12	विस्तार योजना विज्ञान नगर	सहायिका	Minority
46		बोराबास	बोराबास	बोराबास I	सहायिका	ST
47		आरामपुरा	आरामपुरा	आरामपुरा	सहायिका	SC

Lakhan /D/ AWW/AWH VacancyLatter@2025

2025
D.D.O.S.
KOTA



48	बाल विकास परियोजना अधिकारी लाडपुरा ladpura @gmail.com	खेडरामपुर	खेडा	खेडा	कार्यकर्ता	
49		मानसगॉव	घघटाना	घघटाना I	कार्यकर्ता	ST
50		न0निग0कोटा उत्तर	वार्ड 43	सोगरिया II	कार्यकर्ता	SC
51		भवरिया	मंदिरगढ	मंदिरगढ	कार्यकर्ता	ST
52		कसार	रानक्याखेडी	रानक्याखेडी	सहायिका	
53		भवरिया	हरिपुरा	हरिपुरा	सहायिका	ST
54		मांदलिया	दोलतपुरा	दोलतपुरा	सहायिका	ST

2 (5A) चयन हेतु वांछित पात्रता :-

- स्थानीय निवासी होना—ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस ग्राम पंचायत/ग्राम आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उस ग्राम पंचायत के उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिये यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
 - स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवासी प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छायाप्रति को उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जाना आवश्यक है।
 - आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य हैं।
 - वैवाहिक स्थिति:— कोर्ट आदेश के अनुसार आंगनबाडी कर्मों के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होगी, किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का अण्डर टेकिंग(शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांच उपरांत मानदेय सेवा से हटा दिया जावेगा।
 - शैक्षणिक योग्यता:— आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 - आयु:— आवेदन के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी, आवेदनकर्ता की आयु की गणना जन्म तिथि से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के आधार पर की जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित—प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, रोजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्प्रेषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)
- विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र में घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
 - तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी इत्यादि) से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति का आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जायें।

Lakhan /D/ AWW/AWH VacancyLatter@2025

80
D.D.I.O.D.S.
KOTA

- यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जॉच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जायेगा। तथा ऐसा आवेदन भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा।

(vii) चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड:- विभिन्न पदों की व्यावहारिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवेदकों के चयन हेतु उनके मूल्यांकन का मानदण्ड निर्धारित है। जिसमें अलग-अलग बिन्दुओं के अलग-अलग अंकभार निर्धारित है। जो निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.11(3)10/मो. /आईसीडीएस/2022/4244 जयपुर दिनांक 12.01.2023, एवं पत्रांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 के अनुसार एवं इसी क्रम में समय-समय पर जारी अन्य परिपत्र अनुसार होंगे।


(सीता शर्मा) RAS
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
कोटा